


6-6-24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण  
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप  
पत्र किये गये। विपक्षीगण को कितनी कार कटकेट  
कर आवापे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं।  
इन्के विकेट एक तरफा कार्यवाही किये जाने का शक्ति  
दिया जाता है। वकील प्रार्थी का वाचपत्र स्वीकार  
किया जाकर निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शाप  
पत्र किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलयाड़ा



राजस्थान - सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

सीन अधिकारी- मनोज, आर.मू.सू.

मा संख्या 203/24 प्रा-प्र

1 जगदीश च/02 श्री गणेश दयोगा निवासी. कैरिया तहसील-माण्डल

बनाम

श्री देवीलाल च/02 श्री हारा श्वारी निवासी. कैरिया तहसील माण्डल (वॉर)  
(पृष्ठ संकित प्रकरण)

--दिनांक--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1958

दिनांक:- 06-06-24

::आदेश::

श्री की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1958 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
मा. श्री कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल ने उसके खाते / संयुक्त खाते आराजी नं. 3415/24 कुल किता 6.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर स्थित है। बादप्रस्त भूमि विपक्षीयता के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जाता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


रतुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.5.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को बलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि बादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कच्चे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए सार्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

श्री का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1958 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरिया पटवार हल्का कैरिया तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 3415/24 कुल किता 6.1 रकबा 0.5059 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमश को 500 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कच्चे की संधारिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा